संचिका सं0–10/पद सृजन–20–08/2014.............................

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

निबंधित/फैक्स

प्रेषक,

राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– / /2019

विषयः– **राज्य के उत्क्रमित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं संलग्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उत्क्रमित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक पदों का सृजन किया गया है।

2. नई व्यवस्था के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उसके अधीन अवस्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों आदि में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान निम्नलिखित शीर्ष से किया जाएगाः–

(i) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान विपत्र कोड–20–2210031100001 से किया जाएगा।

(ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से संलग्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान पूर्ववत् संबंधित विपत्र कोड से किया जाय।

(iii) इन सभी कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 637(10) पटना, दिनांक–07/08/2019

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D-Dep-10//A.K. letter doc.